

क्रम रीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3
22/5/23	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>कौशल्या देवी, पति केदार कुमार नापित, ग्राम-रसोईया धमना, पोस्ट-बरही, थाना-बरही, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमदाग, मौजा-खपरियाँवा, थाना नं0-119, खाता संख्या-378, 375, 245, 118, प्लॉट संख्या-2126, 2127, 2128, 2131, क्रमशः रकवा-0.30डी0, 0.75डी0, 1.10डी0, 1.85डी0 कुल रकवा-04 डी भूमि रेक्सोना कुमारी, पति कैलाश महतो, पिता रामप्रसाद महतो, ग्राम-कारी, पोस्ट-सिकरी, थाना-बड़कागांव, जिला-हजारीबाग हाल मोकाम पोकला उर्फ कासीडीह, जिला-चतरा के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदिका एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं केवाला की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-742/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक-3917/रा0 दिनांक-28.10.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, कटकमदाग को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग के पत्रांक 529 दिनांक 11.05.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -</p> <p>क्रेता एवं विक्रेता पिछड़ी जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि विक्रेता को केवाला से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत ढेवन बढ़ई वगैरे हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 1.94 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित रकवा 04 डी0 है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-49/XIV पर कौशल्या देवी के नाम से जमाबंदी दर्ज है। वर्ष 2020-21 तक लगान रसीद निर्गत है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदिका के पास अवशेष रकवा 2.16 डी0 भूमि बचेगी। आवेदिका को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।</p> <p>प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।</p>	

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख
1

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

आदेश पर
कार्रवाई के
दिप्पणी तारीख
3

अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में कौशलया देवी, पति केदार कुमार नापित, ग्राम-रसोईया धमना, पोस्ट-बरही, थाना-बरही, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमदाग, मौजा-खपरियाँवा, थाना नं0-119, खाता संख्या-378, 375, 245, 118, प्लॉट संख्या-2126, 2127, 2128, 2131, क्रमशः रकवा-0.30डी0, 0.75डी0, 1.10डी0, 1.85डी0 कुल रकवा-04 डी भूमि रेक्सोना कुमारी, पति कैलाश महतो, पिता रामप्रसाद महतो, ग्राम-कारी, पोस्ट-सिकरी, थाना-बड़कागांव, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।
लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्ता, हजारीबाग।